Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना जवाहर सर्किल के दो कानिस्टेबल 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये वेदप्रकाश कानिस्टेबल एवं श्रीमती संगीता महिला कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध थाने में दर्ज परिवाद में राजीनामा होने के पश्चात निस्तारण करने की एवज में वेदप्रकाश कानिस्टेबल एवं श्रीमती संगीता महिला कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर द्वारा **5 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलराम सिंह मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी मीणा** द्वारा मय टीम पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद मीणा व अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती संगीता महिला कानिस्टेबल को **3 हजार रुपये** एवं वेदप्रकाश कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर को परिवादी से **1 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।